सं0-2492/62-2-2016-2/3(37)/2016

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई सम्बन्धित प्रखण्ड।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 22 नवम्बर,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन बोरिंग गोदामों के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि का आवंटन (जिला योजना)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-जी-491/ल0सिं0/बजट-3/2016-17, दिनांक-08.09.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में बोरिंग गोदामों के निर्माण की योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-48.00 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0-48.00 लाख (रू0-अडतालिस लाख मात्र) राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न विवरणानुसार/निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	गत वर्ष में सूचित परिव्यय	बजट प्राविधान	प्रस्तावित अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	शामली	15.00	13.00	13.00
2	हापुड	10.00	9.00	9.00
3	अमेठी	30.00	26.00	26.00
	योग:-	55.00	48.00	48.00

(रू0-अडतालिस लाख मात्र)

1- संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी तत्संबंधी भुगतान किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि आगणन सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

2- वित्तीय वर्ष 2016-17 की जिला योजनाओं के लिये जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने के उपरान्त जारी की गयी स्वीकृतियों को आवंटित परिव्यय में समायोजित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाय कि मात्र बजट को आधार न मानकर भौतिक लक्ष्य एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3- यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में जिला सेक्टर की योजनाओं के अधीन बोरिंग गोदामों के निर्माण योजना हेतु अनुदान पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिये वित्तीय हस्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुसितका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

4- अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

5- आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

6- यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

7- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरीत धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94,दिनांक-06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- प्रश्नगत योजना में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियों विभागों द्वारा गत वित्तीय वर्ष/विभागीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये जनपदवार फॉट तैयार करते हुये इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि यथासमय जिला सेक्टर योजनाओं के लिये जनपदवार/योजनावार परिव्यय के निर्धारण के बाद आवश्यकतानुसार समायोजन करते हुये संशोधित की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद विशेष के लिये स्वीकृत धनराशि से भिन्न परिव्यय जनपद विशेष में आता है, तो तद्नुसार यथासमय स्वीकृतियों संशोधित कर ली जायेगी।

9- अवमुक्त धनराशि के समक्ष किये गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जायें।

(1)	मासिक व्यय विवरण आगामी माह की	05 तारीख तक
(2)	वर्ष 2016-17 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15.02.2017 तक
(4)	आवंटन का समर्पण	15.03.2017 तक

नोटः- दिनांक 15.03.2016 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजानगत-800-अन्य व्यय-04-लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत बोरिंग गोदामों का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-746/दस-2016-231/2016,दिनांक-22.03.2016 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीया,
(डा0 अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव।

सं0-2492(1)/62-2-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
8- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।